सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 1303 /9-1-2022-17रिट/22

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विशेष सचिव/अपर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02जून, 2022।

विषयः सीवर एवं सैप्टिक टैंक तथा नाला-नालियों की सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों के जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों को नियोजक द्वारा संरक्षणात्मक साधनों और सुरक्षा उपकरणों/उपस्करों को उपलब्ध कराने व एस.ओ.पी. के अनुरूप कार्य करने के संबंध में शासनादेश संख्या-456/9-1-2022-123मा/15 दिनाँक 31.03.2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2. इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-455/9-7-2021-27(ज)/2014टी.सी. दिनाँक 25.04.2022 द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में नाला-नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. उक्त दिशा-निर्देशों तथा एस.ओ.पी. का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सभी नगर निकायों की है। यह शासन के संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित नही किये जाने एवं सफाई कार्य संरक्षात्मक साधनों और आधुनिक उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराये बिना कराये जाने के कारण दुर्घटनायें घटित हो रही हैं।

4. अतः शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के कतिपय प्रमुख बिंदुओं की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट कराते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में समस्त स्थानीय नगर निकायों द्वारा निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय-

I. सीवर/सैप्टिक टैंक एवं नाला-नालियों की नियमित सफाई तथा अनुरक्षण अधिकतम यंत्रीकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सुनिश्चित की जाय। असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी अपराध है।

II. सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुपरवाइजर के पास उपलब्ध होने चाहिये तथा सफाई हेतु प्रयोग में लाई जा रही मशीन का संचालन निर्धारित विधि एवं प्रशिक्षित सुपरवाइजर की देख-रेख में किया जाय।

III. पंजीकृत संस्थाओं/ठेकेदारों/फर्मों से कार्य करवाये जाने की स्थिति में स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त एजेंसी मेकेनिकल साधन द्वारा सफाई कार्य हेतु अनुभवी है तथा सफाई कार्य हेतु सुपरवाइजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित हों।

IV. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गयी है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम दस लाख रूपये की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाय।

V. पंजीकृत एजेंसियों/नियोक्ताओं की किसी भी लापरवाही के लिए स्थानीय निकायों/संस्थाओं के प्रभारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

VI. स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सफाई प्रक्रिया में शामिल होने पर कम से कम एक सुपरवाइजर अथवा कार्य क्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाइजर नामित करते हुए सुपरवाइजर को आवश्यक मशीनों/उपकरण उपलब्ध करायें एवं समय-समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण भी करायें।

VII. विभागीय सुपरवाइजर द्वारा सफाई कार्मिक को सीवर एवं नालों की सफाई का निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत कराते हुए उसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाय।

VIII. स्थानीय निकाय सफाई संबंधी शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हें यथाशीघ्र निस्तारित करने के लिए एक Complaint Redressal System/ Helpline No. विकसित करें और सख्ती से अमल करें।

IX. प्रत्येक निकाय में गठित Responsible Sanitation Authority (RSA) व Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) स्वयं से संबंधित दायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करें।

X. समस्त निकाय वर्षा ऋतु से पूर्व नालो-नालियों की सफाई का कार्य यथा संभव मशीनों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। जहाँ मशीन से सफाई संभव न

हो और व्यक्ति से सफाई कराये जाने की स्थिति में समस्त सुरक्षा उपकरणों/उपस्करों के साथ ही सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6. सुरक्षा मानकों संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इस संबंध में संबंधित निकाय के वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, अमृत, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल/जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।